



2026:AHC-LKO: 19471

प्रकाशनार्थ स्वीकृत

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

रिट ए संख्या - 1474 वर्ष 2026

आशीष कुमार

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, लखनऊ

एवं 15 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता	: विमलेश तिवारी, अभिनंदन कुमार पांडेय, हर्ष चौहान
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता	: मुख्य स्थायी अधिवक्ता, अनुराग कुमार सिंह, महेंद्र प्रताप सिंह, श्याम चरण दीक्षित, उत्सव मिश्रा

न्यायालय संख्या-18

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह

1. प्रतिवादी संख्या 6 और 7 के विद्वान अधिवक्ता श्री महेंद्र प्रताप सिंह और श्री श्यामा चरण दीक्षित द्वारा दिनांक 03-11-2015 को जारी किए गए शासनादेश की प्रति अभिलेख पर लिया गया।

2. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अभिनंदन कुमार पांडे, राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री जोगेंद्र नाथ वर्मा, प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री अनुराग कुमार सिंह, प्रतिवादी संख्या 5 के विद्वान अधिवक्ता श्री महेंद्र प्रताप सिंह और प्रतिवादी संख्या 6 और 7 के विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामा चरण दीक्षित की दलीलें सुनीं।

3. इस रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा जारी दिनांक 30-12-2024 के विज्ञापन को चुनौती दी है और इसके परिणामस्वरूप की गई सभी नियुक्तियों और चयन प्रक्रिया को भी चुनौती दी गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2014 (जिसे आगे "अधिनियम, 2014" कहा गया है) राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने और 20-06-2014 से प्रभावी होने के बाद, गैर-शासकीय सहायता प्राप्त संस्थानों में चयन आयोग द्वारा किया जाना चाहिए था, न कि किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा। उन्होंने कहा कि लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रथम नियमों में चयन की सही प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है, इसलिए यह गैर-शासकीय सहायता प्राप्त संस्थानों पर लागू नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि 'ग्रुप सी' पदों पर नियुक्तियों के संबंध में प्रबंधन समिति द्वारा अपनाई गई पूरी प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि उसे 'ग्रुप सी' पदों पर चयन प्रक्रिया संचालित करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने चयन प्रक्रिया के दौरान शिकायत की थी कि टंकण परीक्षण निष्पक्ष रूप से नहीं लिया जा रहा है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

5. अपने तर्कों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि प्रबंधन समिति द्वारा विज्ञापन प्रकाशित करने से लेकर टंकण परीक्षा तक कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं, और इसी कारण याचिकाकर्ता ने पहले भी शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि वास्तव में प्रबंधन समिति द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया कानून के तहत अस्वीकार्य है और इसलिए पूरी चयन प्रक्रिया अवैध है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।

6. दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 6 और 7 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री महेंद्र प्रताप सिंह और श्री श्यामा चरण दीक्षित ने उपरोक्त दलीलों का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि जैसा कि रिट याचिका के प्रस्तर संख्या 4 में स्वीकार किया गया है, जय नारायण मिश्रा पीजी कॉलेज (के.के.सी.), चारबाग, लखनऊ नामक संस्थान एक गैर-शासकीय सहायता प्राप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय है, जिसका संचालन और प्रबंधन प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता है और यह लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध है।

7. यह तर्क दिया गया है कि यह भी एक स्वीकृत तथ्य है कि प्रबंधन समिति द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के अनुसरण में, याचिकाकर्ता ने रूटीन क्लर्क/जूनियर असिस्टेंट के पद के लिए आवेदन किया था जैसा कि रिट याचिका के प्रस्तर संख्या 8 में उल्लेख किया गया है।

8. आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि नियुक्ति की प्रक्रिया अधिनियम, 2014 द्वारा शासित नहीं है, बल्कि यह प्रावधान लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रथम विधानों (इसके बाद "विधान") के अंतर्गत निर्धारित है और विधानों के खंड 24.01 और 25.06 में प्रक्रिया का प्रावधान है। गैर



शासकीय सहायता प्राप्त संस्थानों में तृतीय श्रेणी के पदों पर चयन के संबंध में, उपरोक्त प्रावधान इस प्रकार हैं:-

"24.01. इन विधानों के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, तीसरे वर्ग के कर्मचारियों के पदों पर नियुक्ति महाविद्यालय के प्रबंधन द्वारा की जाएगी तथा चौथे वर्ग के कर्मचारियों के पदों पर नियुक्ति प्रधानाचार्य द्वारा की जाएगी।

25.06. (1) (क) पुस्तकालयाध्यक्ष, उप पुस्तकालयाध्यक्ष या शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:

(i) प्रबंधन प्रमुख या उनके द्वारा नामित प्रबंधन का कोई सदस्य, जो अध्यक्ष होगा।

(ii) महाविद्यालय के प्रधानाचार्य।

(iii) एक अधिकारी जिसे शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) द्वारा मनोनीत किया जाएगा।

(ख) धारा 25.01 या धारा 25.03 में निर्दिष्ट शेष पदों पर सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे।

(i) प्रबंधन प्रमुख या उनके द्वारा नामित प्रबंधन का कोई सदस्य अध्यक्ष होगा:

(ii) महाविद्यालय के प्रधानाचार्य;

(iii) जिला विद्यालय निरीक्षक;

(iv) जिला रोजगार अधिकारी या इस संबंध में उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी।

(2) धारा 25.01 और 25.03 में निर्दिष्ट पदों पर सीधी भर्ती के प्रयोजन से, उत्तर प्रदेश में पर्याप्त प्रसार वाले कम से कम दो समाचार पत्रों में रिक्ति का विज्ञापन किया जाएगा और संबंधित जिला रोजगार केंद्र से उपयुक्त उम्मीदवारों के नाम भी प्राप्त किए जाएंगे।

43(3) "श्रेणी-IV पद पर नियुक्ति के लिए, रिक्ति का विज्ञापन उत्तर प्रदेश में व्यापक प्रसार वाले दो समाचार पत्रों में किया जाएगा।

(4) कोई भी कर्मचारी वेतन भुगतान खाते से वेतन भुगतान के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक कि अधिनियम की धारा 60-ए के खंड (iii) के उपखंड (b) के अनुसार अनुमति प्रदान न की गई हो।



(5) यदि प्रबंधन चयन समिति की सिफारिशों से सहमत नहीं है, तो वह असहमति के कारणों सहित मामले को अनुमोदन प्राधिकारी के पास भेजेगा, और उक्त प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

9. उपरोक्त का सन्दर्भ देते हुए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि विधानों के खंड 24.01 में यह प्रावधान है कि विधानों के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के पदों पर नियुक्ति महाविद्यालय के प्रबंधन द्वारा की जाएगी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पदों पर नियुक्ति प्रधानाचार्य द्वारा की जाएगी, हालांकि बाद में दिनांक 24-12-2015 के शासनादेश द्वारा इसमें परिवर्तन किया गया और नियुक्ति का तरीका आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से तय किया गया।

10. उन्होंने आगे कहा कि वास्तव में याचिकाकर्ता अपने तर्क में गलत है और उसने गलत तरीके से यह प्रस्तुत किया है कि तृतीय श्रेणी के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया अधिनियम, 2014 के प्रावधानों द्वारा शासित है, जबकि लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रथम नियमों के प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि नियुक्ति प्राधिकारी के संबंध में प्रक्रिया निर्धारित है और तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के संबंध में भी प्रक्रिया निर्धारित है। उन्होंने आगे कहा कि प्रबंधन समिति ने विज्ञापन के विधिवत प्रकाशन के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रथम नियमों के खंड 25.06 के अंतर्गत निर्धारित कार्यवाही पूरी कर ली है और मई, 2025 में परिणाम घोषित कर दिया है। याचिकाकर्ता के असफल घोषित होने के लगभग एक वर्ष बाद, उसने उसी चयन प्रक्रिया को चुनौती देते हुए इस न्यायालय का रुख किया है, जिसमें वह उपस्थित हुआ था, जैसा कि रिट याचिका के कथनों में स्वीकार किया गया तथ्य है।

11. उन्होंने तर्क दिया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक प्रकरणों में यह स्पष्ट किया है कि विधि किसी व्यक्ति को एक ही समय में किसी बात का समर्थन और खंडन करने की अनुमति नहीं देता, क्योंकि किसी तथ्य का खंडन करते हुए उसी का लाभ उठाना अनुचित है। अतः, याचिकाकर्ता, जो परीक्षा में उपस्थित हो चुका है और असफल घोषित किया जा चुका है, को इस चयन प्रक्रिया को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है।

12. अपने तर्कों को आगे बढ़ाते हुए, उन्होंने कहा कि दिनांक 03-11-2015 के शासनादेश से यह स्पष्ट है कि टंकण परीक्षण के लिए प्रक्रिया और प्रावधान प्रदान किए गए हैं, इसलिए

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि टंकण परीक्षण के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है, निराधार है।

13. अपने तर्कों का समापन करते हुए उन्होंने कहा कि यह रिट याचिका केवल प्रतिवादियों की नियुक्ति और चयन को चुनौती देने के उद्देश्य से दायर की गई है, जिन्हें पहले ही नियुक्त किया जा चुका है और वे संस्था में कार्यरत हैं तथा वेतन प्राप्त कर रहे हैं। अतः उनका निवेदन है कि इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

14. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद यह ज्ञात होता है कि जय नारायण मिश्रा पीजी कॉलेज (केकेसी), चारबाग, लखनऊ एक गैर-शासकीय सहायता प्राप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय है, जो दोनों पक्षों के बीच सर्वमान्य तथ्य है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता चयन प्रक्रिया में उपस्थित हुआ है, जो एक निर्विवाद तथ्य है।

15. जब यह न्यायालय इस मामले में चुनौती दी गई नियुक्ति के विज्ञापन की वैधता की जांच करता है, तो यह स्पष्ट है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रथम विधानों के प्रावधानों के अनुसार, जैसा कि पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में उल्लेख किया गया है, प्रबंधन समिति को 'समूह सी' पदों पर नियुक्ति करने का अधिकार है।

16. लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रथम विधान के खंड 24.01 और 25.06 में लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध गैर-शासकीय सहायता प्राप्त संस्थानों में तृतीय श्रेणी के पदों पर चयन प्रक्रिया का स्पष्ट रूप से निर्धारण किया गया है। इसमें प्रबंधन समिति को नियुक्ति प्राधिकारी का दर्जा दिया गया है। सीधी भर्ती या पदोन्नति के लिए चयन समिति के गठन का भी प्रावधान है। चयन समिति में प्रबंधन समिति का प्रमुख या उसके द्वारा मनोनीत सदस्य अध्यक्ष होता है। महाविद्यालय का प्रधानाचार्य, जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला रोजगार अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी चयन समिति के सदस्य होते हैं। प्रबंधन समिति को चयन समिति की अनुशंसाओं के विरुद्ध असहमति दर्ज करने का अधिकार है और वह इसे अनुमोदन प्राधिकारी को भेज सकती है, तथा ऐसे अनुमोदन प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

17. वर्तमान वाद में, प्रबंधन समिति चयन समिति की सिफारिश से सहमत थी और उसी को अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है।



18. उपरोक्त परिदृश्य के तहत, यह निर्विवाद है कि प्रबंधन समिति को 'ग्रुप सी' पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित करने का अधिकार है। इसलिए, प्रबंधन समिति द्वारा चुनौती दिए गए विज्ञापन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया किसी भी तरह से अनधिकृत या क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं है।

19. मेरा यह भी मत है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रथम विधानों के अंतर्गत निर्धारित प्रावधान, दिनांक 03-11-2015 के शासनादेश (टंकण परीक्षण के लिए) के साथ पढ़े जाने पर, लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध गैर-शासकीय सहायता प्राप्त संस्थानों में "ग्रुप सी" पदों पर नियुक्ति के लिए पूरी तरह से लागू होते हैं।

20. इस न्यायालय का मानना है कि अधिनियम, 2014 के प्रावधान उपर्युक्त संस्थानों में नियुक्ति के संबंध में लागू नहीं होते हैं।

21. अब, दूसरे मुद्दे पर आते हैं कि याचिकाकर्ता चयन प्रक्रिया में उपस्थित हुआ था और जब उसका चयन नहीं हुआ, तो लगभग एक वर्ष बीत जाने के बाद उसने इसे चुनौती दिया है, इसलिए प्रश्न यह है कि क्या विधि के अंतर्गत चयन प्रक्रिया को इस प्रकार चुनौती देना अनुमेय है।

22. यह एक स्थापित विधि है कि किसी व्यक्ति को एक ही समय में किसी बात को स्वीकार या अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह सिद्धांत इस नियम पर आधारित है कि कोई भी पक्ष एक ही समय में एक ही दस्तावेज को स्वीकार और अस्वीकार नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार जैसे किसी को भी किसी लेन-देन का लाभ उठाते हुए उसे वैध बताकर और फिर किसी अन्य लाभ को प्राप्त करने के उद्देश्य से उसे अमान्य घोषित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

23. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसी मुद्दे पर विचार करते हुए, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम करुणेश कुमार एआईआर 2023 एससी 52 में प्रतिवेदित के वाद के प्रस्तर 21 में निम्नलिखित रूप से अभिनिर्धारित किया है:-

21. 2015 के नियमावली के तहत अपनाई गई चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाला उम्मीदवार इसके बाद इस पर सवाल उठाने से रोक दिया जाता है और उसने स्वयं ही इस पर सहमति दे दी है, जैसा कि इस न्यायालय ने अनुपाल सिंह (उपरोक्त) के वाद में कहा है:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



55. साक्षात्कार में भाग लेने के बाद, निजी प्रतिवादी दिनांक 12-10-2014 के कार्यालय जापन और चयन को चुनौती नहीं दे सकते, अपीलकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया कि दिनांक 12-10-2014 की संशोधित अधिसूचना के बाद, निजी प्रतिवादियों ने बिना किसी विरोध के साक्षात्कार में भाग लिया और परिणाम घोषित होने और चयनित न होने पर ही उन्होंने दिनांक 12-10-2014 की संशोधित अधिसूचना को चुनौती दी। इसलिए निजी प्रतिवादी चयन प्रक्रिया को चुनौती देने के लिए बाध्य नहीं हैं। यह सर्वविदित विधि है कि जो व्यक्ति जानबूझकर साक्षात्कार में भाग ले चुका है, वह बाद में चयन प्रक्रिया को चुनौती नहीं दे सकता।

24. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि कोई उम्मीदवार बिना किसी विरोध के चयन प्रक्रिया में भाग लेता है और परिणाम घोषित होने के बाद उसी चयन प्रक्रिया को चुनौती देता है, तो यह अस्वीकार्य है।

25. मदन लाल बनाम जम्मू एवं कश्मीर राज्य, [(1995) 3 एससीसी 486 : 1995 एससीसी (एल एंड एस) 712] में प्रतिवेदित के वाद के प्रस्तर 9 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया था:-

“9.... याचिकाकर्ता आयोग के संबंधित सदस्यों द्वारा आयोजित मौखिक साक्षात्कार में भी उपस्थित हुए, जिन्होंने याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ संबंधित प्रतिवादियों का भी साक्षात्कार लिया। इस प्रकार याचिकाकर्ताओं ने उक्त मौखिक साक्षात्कार में चयनित होने का जोखिम उठाया। लिखित परीक्षा और मौखिक साक्षात्कार दोनों में अपने संयुक्त प्रदर्शन के परिणामस्वरूप सफल न होने के कारण ही उन्होंने यह याचिका दायर की है। यह अब सर्वविदित है कि यदि कोई उम्मीदवार सोच-समझकर जोखिम उठाकर साक्षात्कार में उपस्थित होता है, तो केवल साक्षात्कार के परिणाम से संतुष्ट न होने पर वह बाद में यह दावा नहीं कर सकता कि साक्षात्कार प्रक्रिया अनुचित थी या चयन समिति का गठन विधिवत नहीं किया गया था।”

26. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय में यह निर्णीत किया है कि चयन प्रक्रिया में उपस्थित होने वाले और अनुकूल परिणाम प्राप्त करने में विफल रहने वाले उम्मीदवार को कोई भी विचारणीय अवसर नहीं दिया जा सकता है।

27. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी के.एच.सिराज बनाम केरल उच्च न्यायालय, (2006) एससीसी 395 में प्रतिवेदित के वाद में इसी सिद्धांत को निम्नलिखित वाद के प्रस्तर 73 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



“73. इस पृष्ठभूमि में अपीलकर्ता-याचिकाकर्ताओं द्वारा साक्षात्कार में भाग लेने के बाद, साक्षात्कार में असफल होने पर अपीलकर्ता-याचिकाकर्ताओं के लिए यह उचित नहीं है कि वे पलट जाएं और यह तर्क दें कि साक्षात्कार के लिए न्यूनतम अंक का प्रावधान उचित नहीं था।”

28. इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने : राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम बनाम डायमंड एंड जेम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (2013) 5 एससीसी 470 में प्रतिवेदित के वाद में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है

“किसी पक्ष को कभी नरम तो कभी सख्त रवैया अपनाने, कभी मनमानी करने या कभी किसी बात को स्वीकार और अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी अनुबंध, हस्तांतरण या आदेश के लाभों को स्वीकार करता है, तो वह ऐसे अनुबंध, हस्तांतरण या आदेश की वैधता या उस पर बाध्यकारी प्रभाव से इनकार करने से विवश है। यह नियम निष्पक्षता बनाए रखने के लिए लागू होता है, हालांकि, इसे इस तरह से लागू नहीं किया जाना चाहिए जिससे सही और अच्छे विवेक के सिद्धांतों का उल्लंघन हो।

26. यह स्पष्ट है कि चुनाव का सिद्धांत विबंधन के नियम पर आधारित है, जिसमें यह अंतर्निहित सिद्धांत है कि कोई व्यक्ति एक ही समय में स्वीकृति और अस्वीकृति दोनों नहीं कर सकता। चुनाव द्वारा विबंधन का सिद्धांत आचरणजन्य विबंधन (या न्यायसंगत विबंधन) के प्रकारों में से एक है, जो न्याय का एक नियम है। इस नियम के अनुसार, किसी व्यक्ति को उसके कार्यों, आचरण या बोलने पर मौन रहने के कारण उस अधिकार का दावा करने से रोका जा सकता है जो उसे अन्यथा प्राप्त होता।”

29. पूर्व निर्णयों में प्रतिपादित विधि को दोहराते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि एक बार जब कोई उम्मीदवार जानबूझकर स्वीकार कर लेता है, तो उसे वैधता या उस पर बाध्यकारी प्रभाव से इनकार करने से रोक दिया जाता है, क्योंकि मूल रूप से विबंधन का नियम भी ऐसे परिदृश्य में प्रभावी होगा।

30. उपरोक्त मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित विधि को देखते हुए, मेरा यह सुविचारित मत है कि आवेदक, जो बिना किसी विरोध के, निर्विवाद रूप से चयन प्रक्रिया में उपस्थित हुआ था, उसे असफल घोषित किए जाने के बाद चयन प्रक्रिया को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है।



31. परिणामस्वरूप, इस न्यायालय को वर्तमान रिट याचिका में कोई गुण-दोष नहीं दिखता है।

32. फलस्वरूप, यह रिट याचिका तदनुसार **खारिज** की जाती है।

33. वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं है।

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

17 मार्च, 2026

ए.के.एस.

Translated Version. Not for Legal Use.